राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3), शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांक: एफ 40(7)ग्रावि/नरेगा/सामा. पत्रा./पार्ट–10/2022 जयपुर, दिनांक: 21 DEC 2022

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर, समस्त।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के सुचारू क्रियान्वयन बाबत्।

प्रसंग :– पत्र क्रमांक एफ 156( )मो./पराविं/2021/2271 दिनांक 12.12.2022।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा योजना की प्रगति समीक्षा हेतु आयोजित बैठक दिनांक 09.11.2022 में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यो के सुचारू क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में कृपया निम्न कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें –

1. कुछ जिलों में योजनान्तर्गत व्यक्तिगत लाभ के कार्य कम लिए जा रहे है, इसकी समीक्षा की जावें। योजनान्तर्गत निर्मित केटल शेड की उपयोगिता सुनिश्चित करावें।

2. विभागीय पत्र दिनांक 20.07.2010, 20.04.2016, 10.05.2018 एवं 17.06.2019 (प्रतियाँ विभागीय वैबसाइट पर उपलब्ध) द्वारा योजनान्तर्गत श्रमिकों को समूहवार नियोजित कर सम्पादित टास्क अनुसार कार्य कराये जाने के बारे में विस्तृत निर्देश जारी किये हुए है। इन निर्देशों की जानकारी सम्बन्धित जन प्रतिनिधि/कार्मिकों/मेट/श्रमिकों को दिया जाना सुनिश्चित करावें तथा सम्पादित कार्य अनुसार श्रमिकों को Differential wage rate दिया जाना सुनिश्चित करावें, जिससे अधिक काम करने वाले श्रमिकों को अधिक मजदूरी दर प्राप्त हो सके।

3. प्रायः देखा गया है कि जिलों में माप पुस्तिका में एण्ट्री सही तरीके से नहीं की जा रही है। माप पुस्तिका में इन्द्राज हेतु तकनीकी मार्गदर्शिका के परिशिष्ट–27अ, 27ब एवं 27स पर दिये गये निर्देशों की पालना करवाकर नियमानुसार मूल्यांकन करवाया जाना सुनिश्चित करावे।

4. ग्रेवल सड़क निर्मित किये जाने हेतु एप्रुव्ड क्वेरी से ही ग्रेवल की आपूर्ति करवाकर ही उपयोग किया जावे तथा ग्रेवल सड़क का विभागीय निर्देशों के अनुसार कम्पेक्शन कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे।

5. योजनान्तर्गत कार्यो की स्वीकृतियाँ मास्टर परिपत्र के पैरा संख्या– 4.2.4 एवं तकनीकी मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या–7 अनुसार जारी की जावे। कार्यों की स्वीकृति जारी करने से पूर्व निम्न प्रमुख बातों का ध्यान रखा जावे –

5.1 कार्य वार्षिक कार्य योजना एवं जी.आई.एस. प्लान में सम्मिलित हो।

5.2 मौका निरीक्षण उपरान्त बनाये गये विस्तृत तकमीने अनुसार कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से जारी की हुई हो।

5.3 महात्मा गांधी नरेगा से वित्त पोषित होने वाला कार्य महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम अनुसार अनुमत श्रेणी का होना चाहिए।

5.4 कन्वर्जेन्स के तहत जारी की जाने वाली स्वीकृतियों में नरेगा मद एवं अन्य योजना मद की राशि को पृथक से अंकित किया जावे।

5.5 कार्यों पर श्रम सामग्री 60:40 का अनुपात जिला स्तर पर संधारित किया जायेगा। स्वीकृतियों हेतु श्रम एवं सामग्री अनुपात की गणना तकनीकी मार्गदर्शिका के परिशिष्ट–26अ पर उल्लेखित प्रपत्र अनुसार की जावेगी।

5.6 कार्यो की वित्तीय स्वीकृति विभागीय निर्देशानुसार सक्षम स्तर से जारी की जावेगी।

6. योजनान्तर्गत कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जावे।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

(शिवांगी स्वर्णकार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सचिव, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5. परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस।
6. अधीक्षण अभियंता, ईजीएस।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
8. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस जिला परिषद, समस्त।

21/12/2022
अधीक्षण अभियंता, ईजीएस